आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
11.01.2024	**वाद सं0–65 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम–बलथर, पो0–रामूडीह, थाना–देवीपुर, जिला–देवघर अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर आयोग कार्यालय में उपस्थित। शिकायतकर्त्ता के शिकायत के आलोक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, देवीपुर द्वारा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर को पत्रांक–14 दिनांक–10.01.2024 के माध्यम से पत्र भेजा गया है। उस पत्र की प्रति जिला समाज कल्याण पदाधिकारी ने अपने प्रतिवेदन पत्रांक–63 दिनांक–10.01.2024 के माध्यम से आयोग को समर्पित किया है। आयोग को समर्पित प्रतिवेदन में कुछ तकनिकी खामियों का उल्लेख किया गया है और आयोग को जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राशि का भुगतान विभाग स्तर पर होता है। जिला स्तर पर अनुशंसा देखी जाती है। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर द्वारा प्रतिवेदित पत्रांक–63 दिनांक–10.01.2024 को उसके साथ संलग्न बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, देवीपुर के पत्रांक–14 दिनांक–10.01.2024 सहित विभागीय सचिव को अद्यतन कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया जाय, और विभागीय सचिव से अगली सुनवाई से पूर्व प्रतिवेदन की मांग की जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx25	